दिनांक 06.02.2018 को आयोजित ग्राम्य विकास विभाग के कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 06.02.2018 को ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक मण्डलायुक्त सभागार–गोण्डा के सभागार में अपरान्ह 4.00 बजे से प्रारम्भ हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी–गोण्डा, बलरामपुर एवं श्रावस्ती, जिला विकास अधिकारी–बलरामपुर, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण–बलरामपुर एवं श्रावस्ती, उपायुक्त(श्रम–रोजगार)–श्रावस्ती उपस्थित रहे। समीक्षा में विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई, जो निम्नवत है:–

सर्वप्रथम सभी मुख्य विकास अधिकारियों व अन्य अधिकारियों को दिनांक 15.02.2018 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु आयोजित वीडियोंकान्फेसिंग से सम्बन्धित पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुये निर्धारित एजेण्डा विन्दु के अनुसार वांछित सूचना दिनांक 12.02.2018 तक उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया।

मनरेगा:–समीक्षा के दौरान जनपद–गोण्डा एवं बलरामपुर की प्रगति कम पाये जाने की स्थिति में मुख्य विकास अधिकारी–गोण्डा एवं बलरामपुर से अपेक्षा की गई कि कार्यक्रम की गहन समीक्षा करते हुए प्रगति में अपेक्षित सुधार लाया जाय। एफ0टी0ओ0 पेंडिंग श्रमांश के अन्तर्गत सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लम्बित एफ0टी0ओ0 का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय तथा सम्बन्धित सभी आंकड़े ठीक ढंग से अंकित किया जाय, जिससे एफ0टी0ओ0 के रिजेक्शन की सम्भावना न रहे। सृजित मानव दिवस के अन्तर्गत सभी मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा माह–मार्च,2018 तक शतप्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित कर लिये जाने का आश्वासन दिया गया। विलम्बित भुगतान के अन्तर्गत जनपद–बलरामपुर की प्रगति संतोषजनक नहीं है, इसकी समीक्षा कर प्रगति में सुधार लाया जाय। सामग्री अंश के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी–बलरामपुर द्वारा बताया गया कि सामग्री अंश पर अधिकांश धनराशि शौंचालय व आंगनबाड़ी केन्द्रों पर व्यय की जा रही है। सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मनरेगा के अन्तर्गत नियमित समीक्षा करते हुए सभी मदों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाया जाय।

प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण):–समीक्षा के दौरान जनपद–बहराइच में तृतीय किश्त अवमुक्त किये जाने की प्रगति संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में निर्देशित किया गया कि इसकी गहन समीक्षा कर नियमानुसार तृतीय किश्त अवमुक्त की जाय। मुख्य विकास अधिकारी– बलरामपुर द्वारा बताया गया कि अवशेष तृतीय किश्त के अन्तर्गत 90 प्रतिशत लाभार्थियों को इस माह में तृतीय किश्त अवमुक्त कर दी जायेगी। बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में धनराशि की कोई समस्या नहीं है। समीक्षोपरान्त सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी आवास शौंचालय सहित पूर्ण कराये जायें, आवासों पर वर्षवार नाम पट्टिका अंकित किया जाय एवं नियमानुसार आवास निर्माण

Scanned by CamScanner

कार्य का सत्यापन भी कराया जाय। आवास निर्माण में निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(एन0आर0एल0एम0):–समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि जनपद–बहराइच इन्टेंसिव जनपद है, अतएव इस जनपद में प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। सभी मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सोशल सेक्टर से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों/लाभार्थीपरक योजनाओं के अन्तर्गत बैंकों से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय तथा आवश्यकतानुसार बैंक अधिकारियों की उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कराकर समीक्षा की जाय एवं प्राथमिकता के आधार पर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय।

मिशन अन्त्योदय ग्राम योजनाः–समीक्षा के दौरान सभी मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामों के चयन का कार्य पूर्ण हो चुका है। बेसलाईन सर्वे के अनुसार कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है तथा सम्बन्धित सभी विभागों को कार्ययोजना से अवगत करा दिया गया है।

आई0जी0आर0एस0ः–समीक्षा के दौरान सभी मुख्य विकास अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि लम्बित प्रकरणों की विभागवार गहन समीक्षा की जाय तथा प्रयास कर लम्बित प्रकरणों को मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन के वीडियोकान्फ्रेंसिंग दिनांक 15.02.2018 से पूर्व निस्तारित कराया जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि प्रायः आवास व अन्य लाभार्थीपरक योजनाओं की ही शिकायतें प्राप्त होती हैं, इस सम्बन्ध में तहसील दिवस के दिन खण्ड विकास अधिकारी पूर्ण अभिलेखों के साथ उपस्थित रहें, जिससे कतिपय शिकायतों का निस्तारण तहसील दिवस के दिन मौके पर ही सुनिश्चित हो सके।

अन्यः–समीक्षा के दौरान सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्राम स्तरीय कर्मियों के रोस्टर की जानकारी नियमानुसार जनसामान्य को उपलब्ध कराया जाय तथा जनपद स्तर पर चल रहे कार्यों का नियमानुसार तकनीकी टीम गठित कर सत्यापन कराया जाय।

बैठक के अन्त में उपस्थित समस्त अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी तथा सभी मुख्य विकास अधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध करायें।

11/02/18

(एस0वी0एस0 रंगाराव)
आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल,
गोण्डा।

Scanned by CamScanner